

No.A-43020/11/2014-RTI
Government of India/भारत सरकार
Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

To be issued in Hindi
RTI MATTER/TIME BOUND

New Delhi, Dated the 29th May, 2014.

ORDER

Sub: First Appeal preferred by Shri Vijay Kumar Verma under RTI Act, 2005-
regarding.

Whereas Shri Vijay Kumar Verma vide his RTI application dated 20/11/2013(received in this Ministry on 28/11/2013) had sought information from the Ministry of Home Affairs regarding 'action taken on his complaint dated 18/09/2013 against some State Govt. of UP Officers'.

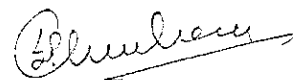
2. Whereas CPIO vide his letter No. 43020/01/2014-RTI dated 19/12/2013 had already advised the applicant to contact the State Govt. of UP as the matter relates them.

3. Whereas having not satisfied with the reply given by the CPIO as above, Shri Vijay Kumar Verma has preferred first appeal dated 03/01/2014(received in this Ministry on 20/01/2014) and has requested the Ministry of Home Affairs to supply the information to him.

4. Whereas Shri Vijay Kumar Verma is informed that under the Right to Information Act, 2005, an applicant can seek that information from Public Authority which exists in the records and is held by/under the control of that public authority. As per DoPT OM No. 10/2/2008-IR dated 12/06/2008 "If a person makes an application to a public authority for some information which is the concern of a public authority under any State Government or the Union Territory Administration, the Central Public Information Officer (CPIO) of the public authority receiving the application should inform the applicant that the information may be had from the concerned State Government/UT Administration. Application, in such a case, need not be transferred to the State Government/UT Administration". Hence, the reply given by the CPIO is in order.

5. So far as complaint letter of the appellant dated 18/09/2013 addressed to Ministry of Home Affairs is concerned, a copy of RTI application and appeal is being sent to Director(Police) for taking necessary action on the complaint of the appellant.

6. The Appeal of the appellant is accordingly disposed of.



(Satpal Chouhan)

Joint Secretary & Appellate Authority

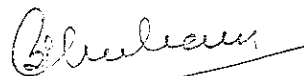
Ph. No. 23093178

Shri Vijay Kumar Verma,
C/o Shri Ram Chandra Verma,
New Bazar, North Mahmoodabad,
Distt. Sitapur(UP).

Copy along with a copy of RTI application and appeal of Shri Vijay Kumar Verma to:

1. The Director(Police), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi for taking necessary action.

✓ 2. SO(IT Cell) for uploading of RTI application, appeal and reply under the concerned Appellate Authority with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act- Information under 4(1)(b) of the Act.



Joint Secretary & Appellate Authority

जे.के. विजय कुमार का, C-226019/15(A)14 पंजीकृत
 सु.उ.अं.ओ. रजि.नं.ई.एम. 21/11/14 3, जनवरी 2014
 पता - गडि बाजार क्वैरी
 गडवाबाद जिला सोनीपुर
 30 जे.

सगला - श्री सत्यपाल चौहान / श्री प्रदीप अधिकारी (रज.नं.)
 संयुक्त सचिव (आवास)
 M.H.A North Block
 New Delhi
 दिनांक - 20/11/14
 विषय - ए.प.ग.ओ. उपसचिव (E) श्री V.K. राजन द्वारा दिये गये
 पत्रांक - A-43020/1/2013 दि. 17.12.2013 सह मजालय
 19.12.2013 प्राप्त 31.12.2013 की अपील के सम्बन्ध
 में।

1. गुजरात में मोड़ला का प्रकरण गुजरात राज्य से है
 जो कि मोड़ला का प्रकरण गुजरात राज्य से है
 के प्रकरण में पीड़िता बल्लभर न्यायिक आयोग
 के अंतर्गत है।
 2. चटना की शिकायत - 14.9.2013 को केन्द्रीय
 सह कंजी से स्पेड दोस्त/पंजीकृत की गई
 फिलहाल डाकरी नं. 16.9.694 है,
 3. सगला का मागला है कि वह हस्तक्षेप नहीं
 कर सकता इसे V.K. राजन का कथन
 द्वारा जमा किया है।
 4. दिनांक - 24.7.2013 को राज्य सरकार की
 माली अंग से चटना की गई पहिलवाओं से
 कलिस ने अश्लील हरकत की, गई।

5. S.M.O कारवाहक श्री सुभाष चन्द्र तिवारी, उमरकी मंजीत सिकन्दर पुलिस उपाधीक्षक श्री सतीश कुमार महबूबाबाद जनपद सीतापुर उ.प्र. अज्ञात 2 उपनिरीक्षक व अन्य में भरे आई विमलकुमार

जो लोकप्रिय जनकल्याण समिति महबूबाबाद जनपद सीतापुर का M.P.O है भरे लगे आई है हटमा करने के उद्देश्य

से इन अधिकारियों की गिली भगत से जोर

साइलेंट बड़ाई जाती है नि. प्र. कराने धाने जाते हैं

10 रिश्ता मधी जाती है 212/2013 में मुकदमा दर्ज होता है फिर 24.7.2013 को एक सप्ताह के आदेश उम्मा

अधिकारी वर के चुसकर, शोभाषण, तिरंगा झण्डा

जाते हैं, भंडासुपुलगा लाघ को रोकवाते हैं।

कैद के रूप में हक धारित कर रहे हैं। महिला को से

अदालत हरकत करते हैं, फिर वधो नही केन्द्र हल-नकोप

कर रहा है, रज-मल गांव के घर गली देख रहे हैं

3- जे.सि. 11/13. 1.13 डायम की संख्या नहीं है

रबीय विपुलित केन्द्र करता है, अलाचार इनके क्लेश

है, वला को रोकने का उत्तर 14.12.13 इनका है।

7. मरी विभागत पर राज्य के मुख्य सचिव उ.प्र.

21/11/13 को डापरी सं. 162229 वाद सं. 0

40577/24/68/2013 दि. 19/11/2013

में मा. राष्ट्रीय भाववाचिभार आयोग गडे दिवलीन

कारवाह के आदेश दिए, उम्मा सचिव कोपलिप

उउल सचिव बृह कापलिप दोषियों को

बन्ना रही है। उम्मा उम्मा की राज्य सरकार

ने जमान की आशा नहीं है।

उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा

संकाय उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा

उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा

उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा उम्मा

~~Page 3~~ - 3 -

जंगल सीतापुर में सुभाष चन्दा तिवारी कानि फनो से
तेनात है, वाना महेशवाड़ा में उपजिरीदार के
रूप में दो बार तेनात होकर आया है, तथा

डोन्नति करके S.M.O वाना महेशवाड़ा में बनाया
जाया और अब भी वाने में तेनात है मिलने
बाद डोन्नति के बाद शालन के इसका स्थापना
नहीं किया, इसकी सेवानिवृत्त सन्य एक वर्ष है।

जैसा महेशवाड़ा जोड़ में चीनी मिल रोड पर 2000/से

5000/52 कीट का लागत सुभाष तिवारी ने स्वीकार
किया वहाला में 10 कीटों परीक 50 लाख की बिक्री,
शालन उधकी फाइल को प्रवचन के चले
दका रहा है। पुलिस ठाननेवालों, सिपाहियों
को नुकसान करा देने के बाद जंगल सीतापुर
वाना महेशवाड़ा में कार-2 तेनाती करा रहे हैं
तो यह शालन का उपचार नहीं है।

नृसिंह सरकार ने मेरी जांच के बाद डास दिने 21 मार्च
/ 2013 वाना महेशवाड़ा 25 जुलाई में 300/10000
की रकम विवेचना स्वतंत्र एजेंसी को कमो नही की
है उम्मीद उठा हुआ जाति बोली को 200000/ सन्य
मिलाने के लिए इन लोगों पर 5/2/57 लगाया गया।
वर्तमान में अधिकतम बलाक उधक और कर नाथ
के उमरावपुर में कुछ दुर्गम पुत्र पुत्र-जा
अमीन से भोकर है।

ऐसी स्थिति में जो मांग गैरकानूनी मांग को
मंजूर करने के लिए जैसा जांच आयोग बनाया है
उस घटना में जांच आयोग बनाएगा।

रीफ़ का मामला बतौर सूचना देने
से इनकार नहीं किया जा सकता।
हम इसकी कड़े शिर्कों में गिनना करते हैं

अब अपील स्वीकार करते हुए तुरंत सूचना
दे। 18 सितंबर 2013 की आदेशों के
के। प्रकरण आदेश 20-11-2013
में सुनाया है।

उत्तर:- मा. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष (विप) द्वारा
भारतीय जनता पार्टी का पत्रिका
गई दिल्ली

सेलोनक

- 19/11-2013 को आपका
लिखित आदेश उत्तर
श्री प्रकाश राणा C.P. नं०
देह मंडलाध्यक्ष के पत्र की
उत्तर मुझे उत्तर

To be replied in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, Dated: 19.12.2013.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.

Please refer to your application date 20.11.2013 under the RTI Act 2005 which was received in this Ministry on 05.12.2013.

2. It is stated that the subject matter of your communication does not come under the purview of the Ministry of Home Affairs, but it relates to State Government of Uttar Pradesh. Therefore, you are advised to contact the State Government of Uttar Pradesh directly.

3. The requisite applicant fee of Rs. 17/- has been received in this Ministry vide receipt No. 17624 dated 10.12.2013.

4. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan Joint Secretary (Admin.) MHA, North Block, New Delhi

Encl: As above

(V.K. Rajani)
Dy. Secretary (E) & CPIO

To

Shri Vijay Kumar Verma
S/o Shri Ram Chandra Verma
New Bazar, North Mahmodabad,
Distt - Sitapur (UP)

पंजीकृत
दिनांक
20-नवम्बर, 2013

प्रेषक:- पंजीकृत
विजयकुमार

लोक सूचनाधिकार अधिनियम
के तहत आवेदन-

सुभा- श्री राम चंडा

पता - नई बाजार उदयपुर
महाराष्ट्र जिला सतपुर
उ.प्र. लखनऊ

202619
28/11/13

भाषा 13
उडा

समाप्त: केन्द्रीय लोक सूचनाधिकारी / यह बंगाल
द्वारा - केन्द्रीय यह केजी भारत सरकार, (नई दिल्ली)

Asst. P.S. to Home Minister
Govt. of India
New Delhi

450/12/11/13
13/12/13

विषय - आपको भेजित (क केन्द्रीय यह केजी के) पंजीकृत सं 2006047
के सं 13.9.2013 के सम्बन्धित पर कार्रवाई
के लिए और अन्य सूचनारें प्राप्त करने के लिए
मौलिक रूप से उपलब्ध करने के लिए।

केंद्र लोक सूचनाधिकारी यह केजी भारत सरकार की दिवसी
के सं 10 नवम्बर को सं. 20.11.13-12-2 डी.2.1.13-13-11-13
2013 संख्या 2006047 के सं 13.9.2013 के सं 13-11-13
संख्या 2006047 के सं 13-11-13 के सं 13-11-13

1- आपको भेजित सं 13.9.2013 पंजीकृत यह केजी भारत
सरकार की दिवसी के डायरी संख्या 169634-2013 पर राज्य
सरकार से संख्या 2006047 के सं 13.9.2013 के सं 13-11-13
को उ.प्र. राज्य सरकार से लिखित तौर पर उडिया की गई है
सभी आदेशों की सम्बन्धित, पंजीकृत सं 2006047 के सं 13.9.2013
2- सं 13.9.2013 के सं 13-11-13 के सं 13-11-13 के सं 13-11-13
अग्रज गम्भोर आशंक है फिर भी उ.प्र. के उडिया सं 2006047
उ.प्र. शक्ति गम्भोर के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया
के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया
के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया के उडिया
3- यदि राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी तो राज्य सरकार
के विरुद्ध संवैधानिक रूप से नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन
करने पर अनु-2 को उल्लंघन कार्रवाई करने में लिखित
निर्णय आपके सूची में

5. आप द्वारा कौन सी जमीन आब्या समय बड़ हो तो राज्य सरकार ने आब्या नहीं केंपी तो आप राज्य सरकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं इच्छित करें

6. जे.पी.ड, जे.पी.ड, पी.पी.ड, पी.पी.ड के आब्या समय बड़ हो तो राज्य सरकार ने आब्या नहीं केंपी तो आप राज्य सरकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं इच्छित करें

[illegible]

१. सिद्धांत : उपेक्षा श्री सिद्धांत के समय
 २. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ३. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ४. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ५. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ६. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ७. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ८. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 ९. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय
 १०. सिद्धांत के समय में सिद्धांत के समय

जो अमेरिका में 9.2013 के आधार पर जो भी इतिहास
आधिकारिक के लिए है।
उपरोक्त सभी के लिए है।

